मेसर्स टिस्को लिमिटेड की वेस्ट बुकारो कोलीरी के प्रबंधन के संबंध में

नियोजक

बनाम

संबंधित श्रमिक राम प्रवेश सिंह

(2008 की सिविल अपील संख्या 892)

1 फरवरी, 2008

(अशोक भान और दलवीर भन्डारी, जे. जे.)

श्रम कानूनः अनुशासनात्मक कार्यवाही -आरोपी के खिलाफ शुरू की गई - अभद्र, दंगाई और अव्यवस्थित व्यवहार के लिए घरेलू जांच में बर्खास्तगी का आदेश – श्रम न्यायालय द्वारा घरेलू जांच को निष्पक्ष और उचित माना – लेकिन आपराधिक मामले में कर्मचारी के बरी होने के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश को अपास्त किया गया और उसकी बहाली का निर्देश देते हुए कहा कि प्रबंधन उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा - अभिनिधार्रित किया गया: जहां अभिलेख पर आई साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपनी राय और निष्कर्ष को घरेलू न्यायाधिकरण की राय से प्रतिस्थापित करने में बहुत शिथिल होना चाहिए।-आपराधिक मामले में और विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक अलग है-आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासन

कार्यवाही करने में कोई बाधा नहीं करेगा। श्रम न्यायालय का आदेश अपास्त किया और अनुशासनात्मक अधिकारी के आदेश को बहाल किया गया।

प्रत्यर्थी - कर्मचारी को बिना अनुमति के काम छोड़ने के आरोप के तहत बर्खास्त कर दिया गया था और वरिष्ठ के तथा सहकर्मी के साथ अभद्र, दंगाई और अव्यवस्थित व्यवहार का आरोप घरेलू जांच में स्थापित किया गया था। श्रम न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन द्वारा संचालित घरेलू जांच निष्पक्ष, उचित ओर नैसगिर्क न्याय के सिद्वान्त के आरोप थे। तथापि श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के आपराधिक मामले में बरी होने के आधार पर बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर 50 प्रतिशत वेतन पर बहाली का आदेश दिया और कहा कि प्रबंधन उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। प्रबंधन रिट में और परिणामस्वरूप लेटर्स पेटेंट अपील में असफल रहा है। अतः हस्तगत अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिधार्रित किया गया:

1.1 ऐसे मामले में जहां रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण को घरेलू न्यायाधिकरण की राय के स्थान पर अपनी राय रखकर घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने में शिथिलता बरतनी चाहिए [पैरा 20] [255-एफ, जी]

संभागीय नियंत्रक, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम एटी माने (2005) 3 एससीसी 254; यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विनोद कुमार 2007 (13) स्केल 690 - पर भरोसा किया।

मेसर्स फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम प्रबंधन और अन्य। [(1973) 1 एस. सी. सी. 813] और दक्षिण भारतीय काजू कारखाने श्रमिक संघ बनाम.केरल राज्य काजू विकास निगम। लिमिटेड और अन्य। (2006) 5 एस. सी. सी. 201 – उद्धृत।

1.2 इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह माना गया है कि किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति किसी अपराधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने में बाधा नहीं बनेगी। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का पैमाना और मानक अनुशासनात्मक कार्यवाही से भिन्न होता है। जबकि एक आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे सबूत है, विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है। [पैरा 19] [255-बी, सी, डी]

1.3 औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को पढ़ने के बाद, हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल ने घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में इस प्रकार हस्तक्षेप किया है जैसे कि वे अपीलीय न्यायाधिकरण हो।अपने वरिष्ठों के प्रति प्रत्यर्थी के अशोभनीय, दंगाई और उच्छृंखल व्यवहार के

संबंध में रिकॉर्ड पर सबूत मौजूद थे। प्रबंधन के गवाह जो घटना स्थल पर मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वरिष्ठों के प्रति प्रतिवादी के दुर्व्यवहार के बारे में बताया है। ट्रिब्यूनल ने उनके साक्ष्य को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, घटना स्थल पर मौजूद श्रमिकों के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। साथी कमर्चारियों के बयानों ने प्रत्यर्थी के कदाचार को स्थापित कर दिया था। जांच अधिकारी ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी को अलिप्त किया था। घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के आधार पर वैध निष्कर्ष पर पहुंचता है, और उक्त निष्कर्ष के स्थान पर श्रम न्यायालय अपनी व्यक्तिपरक राय प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं होता है।[पैरा 17] [254-ए-एफ]

1.4 घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को रद्द करने में श्रम न्यायालय तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटि की है। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की है। उच्च न्यायालय के साथ-साथ श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। तदनुसार, घरेलू न्यायाधिकरण और दंड प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है। [पैरा 21,22] [255-जी; 256-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 892/2008

एल.पी.ए. सं. 389/2004 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 15.6.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से राजू रामचंद्रन, एम. के. दुआ।

प्रत्यर्थी की ओर से सुनील कुमार, अमितेश चंद्र मिश्रा और आलोक कुमार।

न्यायालय का निर्णय भान, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी गई

2. प्रबंधन द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

3. प्रत्यर्थी -कर्मचारी अपीलकर्ता के प्रबंधन के तहत वरिष्ठ डंपर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। कर्मचारी को 2 मार्च, 1994 को सुबह 5.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक की पहली पारी के दौरान ओपन कास्ट माइन, वेस्ट बोकारो में प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी ने अपनी पारी की ड्यूटी खत्म होने से पहले अपनी ड्यूटी की जगह छोड़ दी और कई सुरक्षा कर्मियों और अन्य श्रमिकों के साथ राजीव नगर क्षेत्र में चला गया जहां श्री हरबंस कुमार वरिष्ठ अधिकारी (सुरक्षा) थे जो कंपनी की भूमि पर अनधिकृत निर्माण की रोकथाम के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।प्रतिवादी-कर्मचारी कुछ अन्य लोगों के साथ श्री हरबंस कुमार के पास आया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर

चिल्लाया और अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। प्रतिवादी-कर्मचारी को उक्त तरीके से व्यवहार न करने के लिए कहे जाने पर श्री हरबंस कुमार पैर हाथों से हमला किया तथा ईंट-पत्थर से वार किया जिससे एस.पी.यादव के चहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई।

4. अपीलकर्ता-प्रबंधन ने प्रत्यर्थी - कर्मचारी को निम्नलिखित कदाचार के लिए कंपनी ने एक आरोप पत्र जारी किया, जिसके तहत उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उसके खिलाफ स्थायी आदेशों के खंड 22(18) और 22(5) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए:-

"(ए) बिना अनुमति के काम छोड़ना

(बी) किसी वरिष्ठ और सहकर्मी के साथ अभद्र, दंगाई और उच्छृंखल व्यवहार।"

5. प्रत्यर्थी -कर्मचारी ने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया। प्रबंधन ने जांच करने का निर्णय लिया और तदनुसार श्री मधुसूदन दास, उप प्रबंधक (कार्मिक) को जांच अधिकारी नियुक्त किया। प्रत्यर्थी -कर्मचारी को पूरा अवसर देने के बाद जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किए गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. दंड प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट और संबंधित जांच पत्रों का अध्ययन करने के बाद खुद को संतुष्ट किया कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप स्थापित हो गए हैं और उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रतिवादी को कंपनी से बर्खास्त करने की सिफारिश की। तदनुसार कर्मचारी को 23/25 अप्रैल 1994 को बर्खास्त कर दिया गया।

7. प्रतिवादी ने एक औद्योगिक विवाद उठाया और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 10(1)(डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को संदर्भित किया :

"अनुसूची

"क्या मेसर्स टिस्को लिमिटेड पीओ - घाटोटांड़, जिला हजारीबाग के वेस्ट बोकारो कोलियरी प्रबंधन की कार्रवाई में पूर्व वरिष्ठ डंपर ऑपरेटर श्री राम प्रवेश को कंपनी की सेवाओं से 25.4.1994 से हटाया जाना उचित है?यदि नहीं, तो कर्मकार किस राहत का हकदार है?"

8. प्रत्यर्थी ने 3 अक्टूबर, 2003 को श्रम न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वह घरेलू जांच की वैधता, निष्पक्षता और औचित्य को चुनौती नहीं देना चाहता था। इस कथन के आधार पर श्रम न्यायालय ने

तथ्यों और परिस्थितियों और प्रतिवादी के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह माना कि प्रबंधन द्वारा की गई घरेलू जांच निष्पक्ष, उचित और प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार थी। गुणावगुण के आधार पर बहस सुनने के लिए मामले को 14 दिसंबर, 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

9. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए प्रतिवादी के खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया कि प्रबंधन उचित संदेह से परे संबंधित श्रमिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया और उसे 50% बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया।

10. इसके बाद, प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ प्रबंधन ने पत्र पेटेंट अपील दायर की, जिसे भी आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

11. प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राजू रामचन्द्रन ने कहा कि सबूतों के आधार पर घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को औद्योगिक न्यायाधिकरण या न्यायालयों द्वारा उनके स्थान पर अपनी मूल राय के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता

है या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने उचित संदेह से परे सबूत के मानक को लागू किया है, जिसे आपराधिक मामलों में साबित करना आवश्यक है, जबकि घरेलू जांच और सिविल न्यायालयों में, सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ने आपराधिक मामलों की तरह आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित बरी करने के आदेश पर भरोसा करके गलती की है क्योकि सिविल मामलों में सबूत का मानक अलग होता है।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 11ए तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था।

13. पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना गया है।

14. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में साक्ष्यों एकके पुर्नमूल्यांकन पर यह निष्कर्ष दिया कि साथी कर्मचारी के अलावा किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, वरिष्ठ और सहकर्मी के साथ अभद्र, दंगाई और उच्छृंखल व्यवहार का आरोप साबित नहीं हुआ। जहां तक ड्यूटी से अनुपस्थिति का सवाल है, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्मचारी के अनुसार, वह दोपहर 12.25 बजे कार्यस्थल से निकला था और चूंकि घटना कथित तौर पर दोपहर 12.30 बजे हुई थी, इसलिए प्रतिवादी वहां अपने अन्य साथियों को

एकत्र कर दोपहर 12.30 बजे घटना स्थल नहीं पहुंच सकता था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश के पैरा 14 में, निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधन उचित संदेह से परे कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

15. इस न्यायालय ने डिविजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) बनाम एटी माने [(2005) 3 एससीसी 254] में यह माना कि: -

> "उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक बार जब कोई घरेलू न्यायाधिकरण साक्ष्य के आधार पर किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो आम तौर पर यह अपीलीय न्यायाधिकरण और अदालतों के लिए घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के स्थान पर अपनी व्यक्तिपरक राय रखने के लिए खुला नहीं होता है। वर्तमान मामले में, बस की जाँच करने वाले निरीक्षक का साक्ष्य है जो प्रतिवादी के कदाचार को स्थापित करता है। घरेलू न्यायाधिकरण ने उस साक्ष्य को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को दोषी पाया। लेकिन निचली अदालतों ने उक्त निष्कर्ष को खारिज करने के लिए बिना टिकट यात्रियों के साक्ष्य पर जोर देने में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया, जो कि, हमारी राय में, जैसा कि रतन सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा

पाया गया था [(1977) 2 एससीसी 491] वह एक अवस्था प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा न्यायालय द्वारा देवेन्द्र स्वामी बनाम कर्नाटक एसआरटीसी [(2002) 9 एससीसी 644] में भी अनुसरण किया गया था।"

16. यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विनोद कुमार [2007 (13) स्केल 690] में, इस न्यायालय ने फिर से कहा कि घरेलू जांच की वैधता या निष्पक्षता को चुनौती नहीं दिए जाने की स्थिति में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष या दंड प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा में न्यायालय को हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए।

17. औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को पढ़ने के बाद, हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल ने घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में इस प्रकार हस्तक्षेप किया है जैसे कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण हो। अपने वरिष्ठों के प्रति प्रत्यर्थी के अशोभनीय, दंगाई और उच्छृंखल व्यवहार के संबंध में रिकॉर्ड पर सबूत मौजूद थे। प्रबंधन के गवाह जो घटना स्थल पर मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वरिष्ठों के प्रति प्रतिवादी के दुर्व्यवहार के बारे में बताया है। ट्रिब्यूनल ने उनके साक्ष्य को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, घटना स्थल पर मौजूद श्रमिकों के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को केवल इसलिए खारिज

करने में गलती की क्योंकि स्वतंत्र गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह किसी का मामला नहीं है कि स्वतंत्र गवाह घटना स्थल पर उपलब्ध थे और प्रबंधन उन्हें पेश करने में विफल रहा।यह संभव है कि घटना के समय केवल प्रबंधन के कर्मचारी और अनाधिकृत रूप से निर्माण करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति ही मौजूद थे और कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। साथी कर्मचारियों के बयानों ने प्रत्यर्थी के कदाचार को स्थापित कर दिया था। जांच अधिकारी ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी को आलिप्त किया था।

18. ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि कर्मचारी दोपहर 12.25 बजे ड्यूटी की जगह छोड़ चुका था और इसलिए, अपने अन्य सहयोगियों को इकट्ठा करने के बाद 12.30 बजे घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका, यह किसी सबूत पर आधारित नहीं है। प्रबंधन का मामला यह है कि प्रतिवादी दोपहर 12.05 बजे अपनी ड्यूटी की जगह से निकला था और अपने साथी कर्मचारियों को इकट्ठा करने के बाद 12.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था। कर्मचारी के लिए आधे घंटे के भीतर घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि कर्तव्य स्थल और घटनास्थल के बीच की दूरी केवल 1 किमी थी। प्रत्यर्थी - कर्मचारी की ड्यूटी 1.00 बजे तक थी। यदि यह भी मान लिया जाए कि वह दोपहर 12.25 बजे ड्यूटी स्थल से निकला था, तब भी वह अपने ड्यूटी समय के दौरान ड्यूटी स्थल से निकला था।

19. ट्रिब्यूनल ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट और दंड प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को यह देखते हुए रद्द कर दिया है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह माना गया है कि किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति किसी अपराधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने में बाधा नहीं बनेगी। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का पैमाना और मानक अनुशासनात्मक कार्यवाही से भिन्न होता है। जबकि एक आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे सबूत है, विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

20. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने मेसर्स के दो मामलों का हवाला दिया। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम प्रबंधन और अन्य। [(1973) 1 एससीसी 813] और साउथ इंडियन काजू फैक्ट्रीज़ वर्कर्स यूनियन बनाम केरल राज्य काजू विकास निगम। लिमिटेड एवं अन्य। [(2006) 5 एससीसी 201], के आधार पर यह तर्क दिया कि श्रम न्यायालय धारा 11ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। कानून के इस प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है। मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में श्रम न्यायालय कम सजा दे सकता था। ऐसे मामले में जहां रिकॉर्ड पर साक्ष्य

पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण को घरेलू न्यायाधिकरण की राय के स्थान पर अपनी राय रखकर घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने में शिथिलता बतर्नी चाहिए।

21. घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को रद्द करने में श्रम न्यायालय तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटि की है। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की है।

22. ऊपर बताए गए कारणों से, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के साथ-साथ श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। तदनुसार, घरेलू न्यायाधिकरण और दंड प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होना चाहिए.

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यशस्वी शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।